


20/1/25

अधिवक्ता अपीलान्त अनु. / अधिवक्ता अपीलान्त  
व अपीलान्त को न्यायालय समय में क्रम-2  
कर आवाज लगाई गयी किंतु कोई उपर नहीं  
हुआ। उसके अतिरिक्त अधिवक्ता अपीलान्त को  
समय के समान तलबना पेश करते हेतु कई  
अपसर दिए जा चुके हैं। आदिनांक तक अधिवक्ता  
अपीलान्त ने समान पेश नहीं किए। अतः उक्त  
अपील अद्यतन तकनीक में खारिज की जाती है।  
पत्रावली फॉसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
पाली